



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1947 (श10)
(सं0 पटना 200) पटना, सोमवार, 16 फरवरी 2026

सं०-एल/एच०जी०- 22-122/2025-1639

गृह विभाग
(विशेष शाखा)

संकल्प

12 फरवरी 2026

श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध बिना अनुमति/अवकाश स्वीकृत कराए सरकारी वाहन के साथ मुख्यालय छोड़ने, नशे की हालत में मारपीट करने के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-उप महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक-1550, दिनांक-03.05.2017 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री सिंह को आदेश निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक विभागीय कार्यवाही के अधीन विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4215, दिनांक-19.05.2017 द्वारा निलंबित किया गया।

2. तदोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-17(5)(क) के अंतर्गत प्रपत्र 'क' में वर्णित आरोपों के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8887, दिनांक-09.10.2017 द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई।

3. विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त लिखित बचाव अभिकथन की समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7006 दिनांक-03.07.2019 द्वारा श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, निलंबित जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुजफ्फरपुर को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत संचयी प्रभाव से पाँच वेतन वृद्धियों पर रोक का दंड संसूचित किया गया।

4. श्री सिंह द्वारा उपर्युक्त दंडादेश के विरुद्ध पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक-13.08.2019 समर्पित किया गया। समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन के आलोक में संदर्भित मामलें की गहन समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10381 दिनांक-18.10.2019 द्वारा पुनर्विचार याचिका को अस्वीकृत कर दिया गया।

5. उक्त दंडादेश के विरुद्ध श्री हरेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० सं०-3062/2020, हरेन्द्र कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय

उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-05.05.2025 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् हैं:-

"..... On all the aforesaid counts, this Court is of the view that the impugned orders suffer from illegality and the entire proceedings are actuated with mala fide and unfairness depriving the petitioner from fair opportunity to defend himself; the memo of charge also vitiates on account of apparent infraction of statutory provisions, hence, the order dated 03.07.2019 as contained in Memo No.7006 as also the order dated 18.10.2019 as well as the entire departmental proceedings are hereby set aside.

The respondent authorities are directed to reinstate the petitioner with all consequential benefits. However, this order would not preclude the respondents to proceed afresh, in accordance with law, if so advised.

The writ petition stands allowed."

6. उपर्युक्त पारित न्यायादेश एवं तदनुसार विधि विभाग, बिहार से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, जिला समादेष्टा के विरुद्ध निर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7006, दिनांक-03.07.2019 एवं संकल्प ज्ञापांक-10381, दिनांक-18.10.2019 को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-11316, दिनांक-22.10.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

7. उक्त के आलोक में सम्यक विचारोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली-2005 के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई हेतु निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(i) माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश एवं विधि विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त विधिक परामर्श के आलोक में श्री सिंह के विरुद्ध नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है। जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने तथा महासमादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, मुख्यालय, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

(ii) विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7006, दिनांक-03.07.2019 के निरस्त हो जाने के फलस्वरूप श्री सिंह को दिनांक-03.07.2019 के प्रभाव से निलंबन मुक्त करते हुए उनके निलंबन अवधि के वेतनादि के भुगतान के संबंध में संचालित होने वाले विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत निर्णय लिया जायेगा।

उपर्युक्त कंडिका-7 में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उपेन्द्र प्रसाद,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 200-571+10-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>